



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

## आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-129

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 280503 दिनांक 03/02/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Chhitar Mal Yadav S/o Shyoji Ram Yadav एवं Kedar Prasad Yadav S/o Ramlal Yadav	गोबिन्दराम पुत्र श्री मोडा	22	90.00 SQ. METER	JDA	GOVINDPU RA SCHEME Sector/Block-L	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed)   Original Lease Deed (Patta)	आवेदक श्री छीतरमल यादव पुत्र श्री श्योजी राम यादव एवं श्री कैदार प्रसाद यादव पुत्र श्री राम लाल यादव द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर जविप्रा की योजना गोविन्दपुरा के भूखण्ड संख्या एल-22 क्षेत्रफल 90 व0मी0 का लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। जविप्रा की योजना गोविन्दपुरा के भूखण्ड संख्या एल-22 क्षेत्रफल 90 व0मी0 की लीजडीड श्री गोबिन्दराम पुत्र श्री मोडा के नाम जारी की गई। तत्पश्चात् इनके द्वारा दिनांक 28.08.2009 को





## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Chhitar Mal Yadav S/o Shyoji Ram Yadav एवं Kedar Prasad Yadav S/o Ramlal Yadav को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।

2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |